

कार्यालय: जन सूचना अधिकारी, जिला न्यायालय धमतरी (छ.ग.)

-::ज्ञापन:-

क्रमांक/क्यू/का.जन.सू.अधि./2026

धमतरी दिनांक 17.09.2026

प्रति,

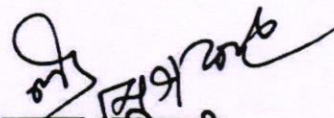
श्री मुकेश कुमार पिता नंदलाल,
निवासी-शिक्षक कॉलोनी अभनपुर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)
मो.नं. 93019-80035

विषय:- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत वर्ष 2021 से 2024 में हुये नोटरी की रजिस्टर्ड एवं रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। रितु मुंजवानी पति मनीष मुंजवानी के संदर्भ में कथित रूप से रजिस्टर में दर्ज वर्ष का उल्लेख भी नहीं किया गया है। चूंकि इस कार्यालय स्थापना एवं न्यायालय में नोटरी से संबंधित रजिस्टर एवं रसीद संधारित नहीं की जाती है, अतः आवेदक को वांछित दस्तावेज, सूचना प्रदाय नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप आपका आवेदन निरस्त किया गया है। उक्त संबंध में सूचना आपकी ओर प्रेषित है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि इस आदेश से असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के समक्ष तीस दिवस के भीतर अपील पेश कर सकते हैं।



जन सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)